प्रेस विज्ञप्ति

11.03.2026

ईडी ने यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन (यूएनए) के फंड के दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.44 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोचीन आंचलिक कार्यालय ने जैस्मिन शॉ (यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 09.03.2026 को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है।

त्रिशूर के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर और उसके बाद त्रिशूर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर अंतिम रिपोर्ट/चार्जशीट के आधार पर, जसमिनशा एम (यूएनए के पूर्व राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष), उनकी पत्नी श्रीमती शबना एम ए और अन्य पदाधिकारियों (शोबी जोसेफ, निधिन मोहन, जितु पी डी, सुजानपाल ए के, बिबिन एन पॉल, सुदीप एम वी) के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और साक्ष्य नष्ट करने सहित विभिन्न अपराधों के लिए जांच शुरू की गई।

पीएमएलए जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि जसमिन्शा एम. ने यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन (यूएनए), त्रिशूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, 2017-2019 के दौरान अपनी पत्नी और अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर सदस्यता शुल्क और संगठन के फंड का दुरुपयोग किया। यूएनए के नियमों का उल्लंघन करते हुए, नकद निकासी, अंतर-खाता हस्तांतरण और व्यक्तिगत खातों में धन का हेरफेर किया गया। इस धन को कई रूपों में इस्तेमाल किया गया और वाहनों और एक अपार्टमेंट की ईएमआई भुगतान के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत खर्चों सहित निजी लाभों के लिए उपयोग किया गया। इन खर्चों को वैध दिखाने हेतु समिति की फर्जी कार्यवृत्त का इस्तेमाल किया गया।

जांच में अपराध से प्राप्त लगभग 1.44 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला है। चूंकि इसका एक बड़ा हिस्सा नकद में निकाला गया था, बिचौलियों के माध्यम से जमा किया गया था, छुपाया गया था या खर्च किया गया था, इसलिए समतुल्य मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है।

ईडी ने जसमिन्शा एम, श्रीमती शबना एम ए, बिबिन एन पॉल और शोबी जोसेफ के नाम पर कुल 1.44 करोड़ रुपये मूल्य की 5 अचल संपत्तियां और 4 चल/फिक्स्ड डिपॉजिट संपत्तियां जब्त की हैं। जब्त की गई संपत्तियों में मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर और इडुक्की जिलों में स्थित जमीन/फ्लैट और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं।

आगे की जांच जारी है।